

<p>तारीख हुकम</p>	<p><b>कैलाश बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर)</b> सू.अ.अपील संख्या 251 / 2022</p>	<p>न. व. तारीख अहकाम ज इस हुकम क तामिल जारी हु</p>
<p>02.09.22</p>	<p>अपीलार्थी कैलाश निवासी 307, सोनल अपार्टमेंट, राजपूत सभा भवन के सामने, पावटा बी रोड, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.05.2022 में उसके द्वारा (1) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी व कृषि भूमि रूपान्तरण, जोधपुर के द्वारा जारी पट्टा नम्बर 1913 दिनांक 01.11.1988 पत्रावली संख्या 2228/88 खसरा न. 19 व 39, कुड़ी भगतासनी, जोधपुर किस्म आवासीय की सम्पूर्ण पत्रावली संलग्न दस्तावेज सहित (2) अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	